राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. S-4/UP-9/2017- SSW II

सुनवाई तिथि 02.01.2019 का कार्यवृत्त

डॉ. जीत सिंह संधू, कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं श्री एस.पी. सिंह प्रार्थी उपस्थित थे।

कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से प्राप्त उत्तर NDUAT-7/स्था-3/व्य./2018/ दिनांक 01.01.2019 की प्रति प्रार्थी को आज प्राप्त करा दी गयी। विश्वविद्यालय के अनुसार नियमानुसार प्रार्थी को प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं है। प्रार्थी उत्तर पर अपनी प्रतिक्रिया आयोग को देंगे। तदोपरान्त अगली सुनवाई पर विचार किया जा सकता है।

संयुक्त सचिव

मा. अध्यक्ष

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
सत्यमेव जयते
GOVT OF INDIA
NCSC

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
सत्यमेव जयते
GOVT OF INDIA
NCSC

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. G-10/Delhi-72/2018- SSW I

सुनवाई तिथि 02.01.2019 का कार्यवृत्त

G-10/Delhi-72/2018/SSW-I पर सचिव शिक्षा, निदेशक शिक्षा, दिल्ली सरकार, प्रार्थिनी से दिनांक 02.01.2019 को चर्चा की गई।

दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने सूचित किया (पत्र सं. DE.7/289/VPL/Vig/HQ/2018/29-30 दिनांक 01.01.2019 द्वारा) कि प्रार्थिनी की 9/2019 से 10/2019 की provisional पेंशन दे दी गई है व 12/2019 की पेंशन का बिल बन गया है। उसको लाईफ टाइम मेडिकल सुविधा कार्ड दे दिया गया है। उसका सस्पेंशन non-est है चूंकि वे 31.08.2018 को सेवानिवृत्त हो चुकी है। सचिव, शिक्षा ने मौखिक रूप से दिनांक 27.11.2018 की सुनवाई कार्यवृत्त के प्रसतर 9 में आयोग द्वारा मांगे अभिलेखों को आयोग को देने हेतु 1 माह का समय मांगा। समय दिया जा सकता है, विभाग सभी अभिलेखों की प्रमाणित कॉपी आयोग को प्रस्तुत करेगा।

2. प्रार्थिनी ने माना कि उसको provisional पेंशन प्राप्त हो रही है व मेडिकल कॉर्ड मिला गया है। प्रार्थिनी ने यह भी सूचित किया कि उनकी 2018 का अर्जित अवकाश, जोड़ा नहीं गया है व अभी तक earned leave encashment, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रैच्युटी व commutation of pension के भुगतान प्राप्त नहीं हुए हैं व उसको 3 माह से ऊपर होने के पश्चात् भी कोई चार्जशीट नहीं दी गई है।

3. नियमों में कहीं भी सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी की ग्रुप इंश्योरेंस व EL encashment रोकने/भुगतान न करने का प्रावधान नहीं है। विभाग द्वारा समय से भुगतान न करके अनुसूचित जाति की प्रार्थिनी को प्रताड़ित किया है, इस बिन्दु से सचिव शिक्षा को अवगत करा दिया गया था। उनसे तत्काल 2018 का अर्जित अवकाश जोड़ने व अर्जित अवकाश व ग्रुप इंश्योरेंस का भुगतान करा कर 1 सप्ताह में सूचित करने को कहा जाना उचित होगा।

4. मा. सर्वोच्च् न्यायालय के आदेश (CA 1912 of 2015, SLP No. 31761 of 2013) के निर्णय 16.02.2015 से स्पष्ट है कि 3 माह के भीतर निलंबित अधिकारी को charge sheet/memorandum of charges दिया जाना आवश्यक है व 90 दिन से अधिक का निलंबन नहीं होगा। प्रकरण में प्रार्थिनी को 31.08.2018 को निलंबित किया गया था, उनकी सेवानिवृत्त भी 31.08.2018 को हो चुकी है। 124 दिन (4 माह 2 दिन) के बाद भी प्रार्थिनी को चार्ज शीट निर्गत नहीं हुई है। अत: मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अधीन उनका निलंबन revoke माना जाना है व तदानुसार उनको पूर्णकालिक पेंशन, commutation of pension व ग्रैच्युटी देय है।

5. अत: मा. सर्वोच्च न्यायालय की निर्णय व नियमों के अधीन विभाग उनके विरूद्ध अग्रिम विभागीय कार्यवाही नियमानुसार CCS (CCA) पेंशन नियम के अधीन मा. राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त करके ही कर सकता है। प्रार्थिनी के सभी देय यथापूर्ण पेंशन, commutation of pension व ग्रैच्युटी का भी भुगतान विभाग/दिल्ली सरकार को तत्काल करना चाहिए।

अत: उपरोक्त प्रस्तर 3,4,5 के आयोग के विचार व अन्तरिम संस्तुतियों को मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार को आवश्यक कार्यवाही व 1 माह में कृत कार्यवाही की रिपोर्ट देने हेतु कहा जाना समीचीन होगा। चूंकि

निलंबन मुख्य सचिव द्वारा किया गया था अत: अब कार्यवाही के निर्देश भी मुख्य सचिव द्वारा ही दिये जायेगे।

कृपया अनुमोदनार्थ।

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
सत्यमेव जयते
GOVT OF INDIA
NCSC

Government of India

National Commission for Scheduled Castes

(A Constitutional body set up under Article 338 of the Constitution of India)

File No. G-10/Delhi-72/2018/SSW-I

5th Floor, Loknayak Bhawan,

Khan Market,

New Delhi- 110003

Dated 14.01.2019

सेवा में,

मुख्य सचिव,

दिल्ली सरकार,

दिल्ली सचिवालय,

नई दिल्ली

Sub:- Representation from Smt. Gomti Devi, R/o 5/171, Lalita Park, Laxmi Nagar, East Delhi, Delhi regarding suspension and payment of retirement benefits.

महोदय,

02.01.2019 को आयोग में उपरोक्त प्रकरण में चर्चा के पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या DE.7/289/VPL/Vig/HQ/2018/29-30 दिनांक 01.01.2019 के पत्र के साथ पूरे प्रकरण के अवलोकन के उपरांत आपसे निम्न अपेक्षा की है :

1. नियमों में कहीं भी सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी की ग्रुप इंश्योरेंस व EL encashment रोकने/भुगतान न करने का प्रावधान नहीं है। विभाग द्वारा समय से श्रीमती गोमती देवी के अर्जित अवकाश नकदीकरण व ग्रुप इंश्योरेंस का भुगतान न करके अनुसूचित जाति की प्रार्थिनी को प्रताड़ित किया है। अत: सचिव शिक्षा विभाग द्वारा तत्काल प्रार्थिनी का 2018 का अर्जित अवकाश जोड़ने व अर्जित अवकाश व ग्रुप इंश्योरेंस का भुगतान करा कर 1 सप्ताह में आयोग को सूचित करने के निर्देश दिये जायें।
2. मा. सर्वोच्च् न्यायालय के आदेश (CA 1912 of 2015, SLP No. 31761 of 2013) के निर्णय 16.02.2015 से स्पष्ट है कि 3 माह के भीतर निलंबित अधिकारी को charge sheet/memorandum

of charges दिया जाना आवश्यक है व 90 दिन से अधिक का निलंबन नहीं होगा। प्रकरण में प्रार्थिनी को 31.08.2018 को निलंबित किया गया था, उनकी सेवानिवृत्त भी 31.08.2018 को हो चुकी है। 124 दिन (4 माह 2 दिन) के बाद भी प्रार्थिनी को चार्ज शीट निर्गत नहीं हुई है। अत: मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अधीन उनका निलंबन revoke माना जाना है। मा. सर्वोच्च न्यायालय की निर्णय व नियमों के अधीन विभाग उनके विरूद्ध अग्रिम विभागीय कार्यवाही नियमानुसार CCS (CCA) पेंशन नियम के अधीन मा. राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त करके ही कर सकता है। तदानुसार श्रीमती गोमती देवी को पूर्णकालिक पेंशन, commutation of pension व ग्रैच्युटी देय है।

3. प्रार्थिनी के सभी देय यथा पूर्ण पेंशन, commutation of pension व ग्रैच्युटी का भी भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा करवाने की कार्यवाही अपेक्षित है।

चूंकि प्रार्थिनी श्रीमती गोमती देवी का निलम्बन मुख्य सचिव के पत्र सं. DE 7/289/SUSP/VPL/Vig/HQ/2018/6737 दिनांक 31.08.2018 के द्वारा किया गया था, अत: अग्रिम कार्यवाही भी मुख्य सचिव द्वारा अपेक्षित है।

कृत कार्यावाही की रिपोर्ट आयोग को 15 दिन में भेजेने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सी.एस. वर्मा)

प्रतिलिपि :

निदेशक

1. सचिव, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजनधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. UP/185/2018- APCR

सुनवाई तिथि 08.01.2019 का कार्यवृत्त

श्री अनिल कुमार, जिलाधिकारी, अयोध्या, श्री अरविंद कमार, पुलिस उपाधीक्षक, अयोध्या, श्री दयाराम विमल, प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे।

पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार पुनर्विवेचना में प्रार्थी की पुत्री की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई पायी गई। संबंधित ट्रैक्टर ट्रौली के मालिक व ड्राईवर का प्रार्थी के विरोधियों से कोई संबंध नहीं मिला। प्रार्थी की पुत्री के साथ एक और महिला को भी चोट आई थी जिसने भी दुर्घटना होने की पुष्टी की है। ड्राईवर के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है।

प्रार्थी द्वारा सूचित किया कि विरोधी पक्ष से उनको जान-माल का खतरा है।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक विरोधी पक्ष के विरूद्ध 10 दिन में निरोधात्मक कार्यवाही पूर्ण करेंगे व रिपोर्ट भेजेंगे।

उपरोक्त के साथ प्रकरण बंद किया जाता है।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

<u>फाईल नं. Delhi/314/2018-APCR</u>

<u>सुनवाई तिथि 12.02.2019 का कार्यवृत्त</u>

श्री गौरव सैनी, एसडीएम, कोतावली, निदेशक (दिल्ली पुलिस), गृह मंत्रालय, एसीपी, सराय रोहिल्ला, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (Addl. DCP), नॉर्थ उपस्थित थे। प्रार्थी उपस्थित नहीं थे।

प्रकरण में पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में दायर कर दी है जिसपर प्रार्थी ने आपत्ति न्यायालय में दर्ज कर दी है। न्यायालय में अगली सुनवाई 19.03.2019 को है।

प्रकरण न्यायालय में हैं, अत: बंद किया जाता है।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES

File No. Delhi/150/2018- APCR

Minutes of hearing held on 12.02.2019

Shri Vijay Kumar, DCP, South, Shri Ramchandra Shingare, SDM Saket, Smt. Meena Devi, petitioner were present in the hearing.

As per report of DCP dated 17.01.2019 and the response of DCP (south), Shri Vijay Kumar, section 323/325/427/34 have been added in FIR, however as no evidence of caste abuse hence section of Scheduled Castes/Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act (as amended) (PoA Act) are not imposed.

The DCP (south) was totally unaware of the schedule to the PoA Act (as amended) wherein the relevant section of 3(2)V of the PoA Act is to be imposed in case of imposition of section 325/326 of IPC. He was educated on the same during the hearing.

The Commission is constrained to point out to the Commissioner of Police, Delhi that professing of such ignorance of law both in writing and orally in the hearing by a young DCP level IPS officer shows that the officer has an unprofessional and casual approach towards not only this Commission, but also shows an indifference and insensitive approach towards solving problems of Scheduled Caste petitioners.

The DCP (south) is to be advised, in writing, to take corrective action on his attitude towards work in general and towards solving problems of Scheduled Castes in particular. Commissioner of Police, Delhi is to send a copy of the advisory to the Commission within 3 weeks.

The DCP (South) is to ensure adding of the appropriate section of the SC/ST PoA Act in the FIR, complete investigation and file the charge sheet within the time frame prescribed in the Act. The DM and SC welfare department is also to be notified for payment of compensation as per SC/ST PoA Rules. SDM, Saket to collect the details from DCP and do the needful.

ATR to be submitted by 25.03.2019. Next hearing on

(Prof. (Dr.) Ram Shankar Katheria)
Chairman

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES

File No. B-I/Ins-I/2019- SSW II

Minutes of hearing held on 12.02.2019

Shri A.V. Girija Kumar, CMD, Oriental Insurance Co. Ltd (OIC), Shri Balwant Singh, GM, OIC Shri Navneet Doda, GM, OIC, Smt. Meenakshi Talwar, DGM, OIC, Shri Arvind Saxena, DGM, OIC, CLO, OIC, Shri B.P. Singh, petitioner were present in the hearing.

Issue is of alleged false SC caste certificate of Shri Mahendra Singh who works in Oriental Insurance Company. The petitioner and officers showed the impugned caste certificate which did not appear to be in correct format the subcaste column is blank.

The issue is serious as in case Shri Singh has obtained the job on basis of a false caste certificate, then a genuine SC candidate has been deprived.

It was decided the OIC will immediately take the following steps :

i. Write to DM concerned for verification of the impugned caste certificate and get the issue followed up with DM by the local OIC Branch Manager.

ii. As the petitioner has stated that Shri Mahendra Singh's father worked in Railways in Moradabad, the father's caste certificate may also be obtained from DRM Moradabad.

List with ATR in May 2019.

(Prof. (Dr.) Ram Shankar Katheria)
Chairman

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. Har./218/2018-APCR

सुनवाई तिथि 05.03.2019 का कार्यवृत्त

डॉ. रविन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, सोनीपत (सिटी), श्री ब्रह्मप्रकाश, जिला राजस्व अधिकारी, सुनवाई में उपस्थित थे। प्रार्थिनी उपस्थित नहीं थी।

पुलिस ने सूचित किया कि प्रार्थिनी की FIR में तथा उसके विरूद्ध दायर FIR, दोनों में आरोप पत्र दिसंबर 2018 में न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। सम्भवत: दोनों में समझौता हो गया है व प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में है।

Subjudice प्रकरण बंद किया जाता है।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

<u>फाईल नं. D-19/HRD-24/2013- SSW II</u>

<u>सुनवाई तिथि 05.03.2019 का कार्यवृत्त</u>

श्री बी.एल. मोरोदिया, उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय समिति, जयपुर, श्री रघुवेन्द्र कुमार, सहायक आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, श्री प्रमोद कुमार, पुलिस उप अधीक्षक, श्री दिलीप कुमार बैरवा, प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे।

उपायुक्त, नवोदय विद्यालय समिति ने सूचित किया कि प्रार्थी के विरूद्ध सभी अनुशासत्मक कार्यवाही समाप्त कर दी गई है।

प्रार्थी ने जयपुर से बहुत दूर प्रतापगढ़ स्थानान्तरण के विरूद्ध अपनी आपत्ति जताई। उसकी माता को कैंसर है व दूर से देख-रेख संभव नहीं हो पायेगी।

उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि प्रार्थी को दौसा (जयपुर के निकट) या दिल्ली स्थानान्तरित किया जायेगा। उसके VI CPC के अनुसार वेतन नियत किया जाएगा व देय बकाया का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

उक्त आश्वासन के साथ प्रकरण बंद किया जाता है।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. Raj/41/2018- APCR

सुनवाई तिथि 05.03.2019 का कार्यवृत्त

श्री रमेश पहाड़िया, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट दौसा, श्री प्रमोद कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, दौसा, श्री श्रवण कुमार, प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे।

जिलाधिकारी, दौसा उपस्थित नहीं हुए व अपने कार्यालय के एक बहुत ही कनिष्ठ अधिकारी को सुनवाई में भेजा व आयोग का समय नष्ट किया। स्पष्ट है कि श्री अविचल चतुर्वेदी, जिलाधिकारी, दौसा को अनुसूचित जाति के प्रार्थी की कठिनाई को दूर करने हेतु आयोग की सहायता करने हेतु इच्छुक न होने के साथ-साथ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की समस्याओं को सुलझाने में असंवेदनशील है।

उनके पर्यवेक्षक अधिकारी, डिविजनल कमिश्नर, जयपुर से अपेक्षा है कि वे श्री अविचल चतुर्वेदी, जिलाधिकारी, दौसा को अनुसूचित जाति के प्रति संवेदनशील होने तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सुनवाई गंभीरता से लेने व कार्यवाही करने का लिखित परामर्श देंगे व आयोग को कृत कार्यवाही से 20 दिन में अवगत करायेंगे।

पुलिस ने सूचित किया कि भूमी का प्रकरण है, न्यायालय में चल रहा है। वर्तमान में कब्जा प्रार्थी का है व विपक्षी पार्टी के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जा चुकी है।

न्यायालय के निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखने की अपेक्षा की जाती है।

डिविजनल कमिश्नर, जयपुर की कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुभाग पत्रावली प्रस्तुत करें।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. UP/405/2017- APCR

सुनवाई तिथि 11.06.2019 का कार्यवृत्त

श्री बी. राम, एडीएम मैनपुरी, श्री प्रयांक जैन, डीएसपी, मैनपुरी, श्री अतुल कुमार कठेरिया, प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे।

आवेदक ने सूचित किया कि उसके पास पट्टे की 12.5 बिघा का ही कब्जा दिया गया है। शेष रकबा अभी भी खाली है लेकिन एसडीएम की रिपोर्ट में मकान दिखा रहा है।

यह भी सूचित किया कि पूर्व में दिया गया पट्टा एसडीएम द्वारा खारिज किया गया था(2008 में) जब कि एसडीएम को पट्टा खारिज करने का कोई अधिकार नहीं है। 16.05.2016 को Board of Revenue द्वारा एसडीएम का यह गलत आदेश भी निरस्त कर दिया गया है। फिर भी उसको पूर्ण भूमि का कब्जा नहीं दिया जा रहा है। उपस्थित एडीएम ने सूचित किया कि प्रकरण में स्थलीय जाँच करके कार्यवाही अगले सप्ताह पूर्ण करने की संभावना है।

आयोग ने अपेक्षा की है कि :

1. चूँकि एसडीएम के निरस्तीकरण के गलत आदेश के विरूद्ध Board of Revenue ने अपना निर्णय दे दिया है। अत: प्रार्थी को पट्टे की पूरी 12.5 बिघा जमीन पर उसको कब्जा दिया जाए और यदि उस स्थान पर आबादी है तो किसी अन्य भूमि पर उसको पट्टा करके कब्जा दे दिया जाए।
2. 2008 में बिना नियम पट्टा खारिज करने वाले तत्कालीन एसडीएम श्री विजय प्रताप यादव तथा तत्कालीन जिलाधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की

जानी उचित है क्योंकि उनके द्वारा एक गरीब अनुसूचित जाति का उत्पीड़न किया गया प्रतीत होता है।

अत: जिलाधिकारी, मैनपरी से उपरोक्त बिन्दु 1 पर कार्यवाही तथा आयुक्त, कानपुर से बिन्दु 2 पर कार्यवाही पूर्ण कर आयोग को सूचित करने की अपेक्षा है।

अनुभाग एक माह में कृत कार्यवाही की सूचना सहित प्रस्तुत करें तदनुसार अगली सुनवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. UP/460/2017- APCR

सुनवाई तिथि 11.06.2019 का कार्यवृत्त

श्री रणवीर प्रसाद, कमिश्नर, बरेली डिवीजन, श्री वैभव श्रीवास्तव, जिलाधिकारी, पिलीभीत सुनवाई में उपस्थित थे।

कमिश्नर और जिलाधिकारी की रिपोर्ट संख्या 339/वि.लि.19 दिनांक 06.05.2019 में सूचित किया है कि

1. श्रीमती मन्दीप पत्नी श्री यशपाल को वर्ष 2002-03 में इन्दिरा आवास प्राप्त हो चुका है। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, पीलीभीत के पत्र अनुसार इन्दिरा आवास योजना बंद होने के पश्चात ही प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई है। एक बार आवासीय सुविधा प्रदान करने के पश्चात पुन: प्रधानमंत्री आवास की सुविधा नहीं दी जा सकती है।

2. श्रीमती मन्दीप का पूर्व में पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बना हुआ था, अब इनका अन्तयोदय राशन कार्ड संख्या 215120420269 युनिट 04 जारी कर दिया गया है।
3. श्रीमती मन्दीप का स्वच्छ शौचालय का निर्माण हो चुका है।
4. श्रीमती मन्दीप का जनधनयोजना के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक में पूर्व मं ही बचत खाता शाखा माधौटांडा में खोला जा चुका है।
5. श्रीमती मन्दीप के बच्चों का प्रवेश विद्यालय में करा दिया गया है साथ ही बच्चों को स्कूल ड्रेस व किताबें प्राप्त करा दी गयी हैं।
6. मा. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत गैसा कनेक्शन दिलवा दिया गया है।
7. श्रीमती मन्दीप का मनरेगा के अंतर्गत जाब कार्ड बना दिया गया है। उपायुक्त, श्रम रोजगार पीलीभीत के पत्र दिनांक 07.02.2019 के अनुसार मनरेगा योजना एक्ट के अनुसार संचालित होती है, जिसमें बिना कार्य किये भुगतान किसी भी दशा में नहीं किया जा सकता है। अत: श्रीमती मन्दीप को कार्य आवंटन के पश्चात भी, कार्य न करने के कारण भुगतान नहीं हो सका।

अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण है, अत: प्रकरण आयोग में बंद किया जाता है।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

<u>फाईल नं. 24/223/Misc./UP/2018-ESDW</u>

<u>सुनवाई तिथि 11.06.2019 का कार्यवृत्त</u>

श्री आई.पी. पाण्डेय, जिलाधिकारी एटा, श्री नन्दलाल सिंह, एडीएम, एटा एवं प्रार्थिया श्रीमती विमला देवी सुनवाई में उपस्थित थे।

प्रार्थी ने सूचित किया कि 1975 और 1978 में उसके पूर्वजों को पट्टा दिया गया था जिसको 2011 में पूर्णत: निरस्त कर दिया गया था।

जिलाधिकारी ने सूचित किया कि 2011 में निरस्त करने का कारण नियमों से अधिक भूमि आवंटन था। ये भी सूचित किया कि प्रकरण में निरस्तीकरण के विरूद्ध वाद एडीएम द्वारा Restore (बहाल) कर दिया गया है तथा पूर्ण विवादित भूमि पर फिलहाल कब्जा प्रार्थी का ही है तथा वाद का शीघ्र निर्णय करते हुए आयोग को सूचित किया जाएगा व तब तक प्रार्थी को भूमि से नहीं हटाया जाएगा।

कृत कार्यावाही की रिपोर्ट सहित एक महीने में प्रस्तुत करें तदनुसार अगली सुनवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES

File No. R-73/Defence-39/2017-SSW I

Minutes of hearing held on 11.06.2019

Commodore Siddharth Mishra, CMD BDL, Shri S. Narayanan, GM (HR), BDL Hyderabad, Shri P. Sriniwas Rao, Manager, BDL Hyderabad, Shri R. Soundara rajan, petitioner were present in the hearing.

The petitioner had brought with him the original degree and medical card and stated that his parents' photos and names are not there in this medical card.

CMD, BDL stated that :

i. The petitioner had been charged for false declaration holding ME degree in 1998, 2001, 2002 2005, ,2006, 2009, 2010, 2011 (given extra 5 marks for PG qualification) at time of DPC.
ii. He had updated his qualifications for 2014 DPC stating in letter dated 06.08.2014 that his qualification was ME (IDC) existing and qualifications of MBA (OPM), PGDITM, PMP (USA) are to be added.
iii. He was awarded 5 extra marks for PG qualification at time of this DPC (2014 and 2015) also.
iv. He qualified for the ME degree in September 2016, only as in seen from his original degree.
v. The same was verified by vigilance department which found that there are many contradictory letters by petitioner to Management regarding his qualification, particularly the ME degree.
vi. The issue of wrongful declaration of his expired parents dependents in Medical card for several years was also re-examined and the Central Forensic Science Laboratory has confirmed the handwriting of petitioner on all the format filled for the medical card.
vii. In view of this he was awarded a punishment of reduction to a lower stage in time scale by 3 stages i.e. 03 increments for 3 years in 31.10.2016.
viii. The appeal against the same has been duly reviewed by the CMD and rejected on 31.12.2018.

The Commission examined all the facts and documents and finds that the issue is a pure disciplinary and administrative matter and not one of discrimination or harassment due to his caste.

No further intervention of the Commission is required and case is close.

(Prof. (Dr.) Ram Shankar Katheria)

Chairman

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
सत्यमेव जयते
GOVT OF INDIA
NCSC

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

<u>फाईल नं. B-11/Har-24/2018-SSW II</u>

<u>सुनवाई तिथि 18.06.2019 का कार्यवृत्त</u>

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि.(UHBVNL) को सुनवाई में बुलाया गया था वे उपस्थित नहीं हुए।

प्रार्थी उपस्थित थे। अगली सुनवाई हेतु प्रमुख सचिव (Power) तथा CMD, UHBVNL हरियाणा की उपस्थिति हेतु summons निर्गत किये जाए।

चूँकि प्रार्थी इतनी दूर से सुनवाई हेतु उपस्थित हुए थे व उनका आना व्यर्थ गया अत: CMD सुनिश्चित करेंगे कि प्रार्थी को सुनवाई में आने हेतु टीए/डीए नियमानुसार दिए जाए।

अगली सुनवाई को।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. K-2/UP-4/2017-SSW II

सुनवाई तिथि 11.06.2019 का कार्यवृत्त

डॉ. प्रभु कुमार यादव, अवर सचिव, श्री आर.के. तिवारी, डीआईओएस, बुलन्द शहर, सुश्री कुसम आर्या, प्रार्थिनी सुनवाई में उपस्थित थे।

सचिव माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश को बुलाया गया था, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए और न ही सुनवाई से छूट हेतु कोई पत्र भेजा।

NCTE द्वारा सारी सूचना उपलब्ध करवा दी गई है, अत: अगली सुनवाई में NCTE को बुलाना आवश्यक नहीं है। प्रार्थिनी ने 31.05.2013 का माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय सूचित किया जिसमें TET की योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य है 'compulsory for all candidates who seek appointment of teacher as elementary education as per NCTE notification dated 23.08.2010.'

प्रार्थिनी का चयन 2011 में हुआ था व वे ही एक मात्र अभ्यर्थी है जो TET की योग्यता रखती है, फिर भी उसको उचित वरिष्ठता न देते हुए सबसे जूनियर माना गया जो कि उसके साथ अन्याय व भेदभाव है। 3 प्रोन्नतियाँ की गई है वे Non-TET वालों की, की गई है।

अपेक्षा की जाती है कि विभाग (माध्यमिक शिक्षा/शिक्षा विभाग) प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश, NCTE के अधिसूचना दिनांक 23.08.2010 तथा दिनांक 27.07.2011 उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना जिसमें भारत सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अहर्ता का उल्लेख है, के अनुसार कार्य करते हुए प्रार्थिनी की वरिष्ठता ठीक करेंगे व उसको नियमानुसार प्रोन्नति प्रदान करेंगे व 2 माह में आयोग को सूचित करेंगे।

अनुभाग कृत कार्यवाही की सूचना सहित 2 महीने बाद प्रस्तुत करें।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. J-6/HR-42/2016- SSW II

सुनवाई तिथि 18.06.2019 का कार्यवृत्त

उपायुक्त, यमुनानगर को बुलाया गया, वे उपस्थित नहीं हुए। यह तीसरी बार हुआ है कि उपायुक्त उपस्थित नहीं हुए।

आयुक्त, अम्बाला तथा उपायुक्त, यमुनानगर को अगली सुनवाई में उपस्थित होने हेतु Summons निर्गत किये जाए।

कृत कार्यवाही की रिपोर्ट सहित अगली सुनवाई को।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

<u>फाईल नं. Har/146/2017- APCR</u>

<u>सुनवाई तिथि 18.06.2019 का कार्यवृत्त</u>

डॉ. आनन्द श्रीवास्तव, लेबर कमिशनर, उत्तराखण्ड, श्री प्रशांत कुमार, सहायक लेबर कमिशनर, उत्तराखण्ड एवं प्रार्थी श्री हीरालाल सुनवाई में उपस्थित थे।

प्रकरण में 2 ठेकेदारों के बीच की लड़ाई है जिसमें अनुसूचित जाति श्रमिकों को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। इस हेतु लेबर कमिशनर, हरिद्वार जरूरी कार्रवाई करेंगे व प्रार्थी श्री हीरालाल को तदनुसार सलाह भी देंगे।

अगली सुनवाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सोनीपत व उपायुक्त सोनीपत को भी बुलाया जाए तथा उनसे अपेक्षा है कि गुलिया कंस्ट्रक्शन कंपनी 1440 सेस्टर 15 सोनीपत 131001 के मालिक को भी सुनवाई में साथ लेकर उपस्थित हो।

अगली सुनवाई 3 ½ महीने बाद को।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. 14/76/Delhi/2017-ESDW

सुनवाई तिथि 18.06.2019 का कार्यवृत्त

प्रकरण में जिलाधिकारी, सीकर को उपस्थित होना था तथा इस हेतु उनको प्रमुख सचिव, राजस्व, उपनिवेशन, सैनिक कल्याण, राजस्थान द्वारा कदाचित निर्देश भी निर्गत हुए थे। इसके बावजूद भी जिलाधिकारी द्वारा तहसीलदार, सीकर को भेजा गया।

स्पष्ट है कि जिलाधिकारी, सीकर आयोग में अनुसूचित जाति के प्रार्थियों की समस्या सुलझाने में उपस्थित होना उचित नहीं समझते हैं व साथ ही साथ वे अपने प्रमुख सचिव, राजस्व, उपनिवेशन, सैनिक कल्याण, राजस्थान के आदेश की भी अवहेलना करते हैं।

प्रमुख सचिव, राजस्व, उपनिवेशन, सैनिक कल्याण, राजस्थान से अपेक्षा है कि वे अगली सुनवाई में पूर्ण रिपोर्ट सहित सक्षम अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करवायेंगे व अपने स्तर से प्रकरण की समीक्षा कर इस अनुसूचित जाति के प्रार्थी की समस्या का समाधान भी करवायेंगे।

जिलाधिकारी, सीकर के लिए Summons निर्गत किये जाए।

अगली सुनवाई को।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. UP/267/2019- APCR

सुनवाई तिथि 25.06.2019 का कार्यवृत्त

सीओ, खेरागढ़ ने सूचित किया कि प्रकरण में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। आरोप पत्र संख्या दिनांक 28.04.2019 माननीय न्यायालय में दायर किया जा चुका है। जिसमें धारा 354(b), 323, 120(b) पॉक्सो एक्ट तथा धारा 31wअनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम लगाई जा चुकी है।

पाया गया कि पीड़िता को अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है, जबकि नियमानुसार 1.5 लाख की सहायता स्वीकृत की जानी चाहिए थी।

जिलाधिकारी 15 दिन बाद भुगतान करके रिपोर्ट आयोग को भेजेंगे।

अनुभाग रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर प्रस्तुत करें तदनुसार अगली सुनवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
सत्यमेव जयते
GOVT OF INDIA
NCSC

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. Delhi/22/2015- APCR

सुनवाई तिथि 25.06.2019 का कार्यवृत्त

प्रकरण में प्रार्थी ने सूचित किया कि उसको 60,000 रूपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हो गई है, किन्तु खसरा संख्या 379 में बने घर पर उसको कब्जा नहीं दिलाया गया है।

पुलिस व एसडीएम ने सूचित किया कि प्रकरण में चार्जशीट दिनांक 15.04.2018 में दायर कर दी गई है तथा यह आश्वासन दिलाया कि इसी माह में प्रार्थी को उसकी भूमि पर कब्जा दिलवा दिया जाएगा।

ATR 15 दिन में प्रस्तुत करें।

अनुभाग ATR प्राप्त होने पर प्रस्तुत करें तदनुसार अगली सुनवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. UP/197/2019- APCR

सुनवाई तिथि 25.06.2019 का कार्यवृत्त

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बुलाया गया था वे उपस्थित नहीं हुए। सीओ, खेरागढ़ ने सूचित किया कि प्रकरण में आरोप पत्र दिनांक 29.10.2018 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है व आरोप पत्र में IPC की धारा 376(d) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)v लगाई गई है।

पाया गया कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई पूर्ण है, किन्तु पीड़िता को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम के अधीन अब तक 6,18,000 की आर्थिक सहायता दी जानी अपेक्षित थी व नियमानुसार अतिरिक्त सहायता भी देय है। अब तक मात्र 1.5 लाख की आर्थिक सहायता दी गई है।

जिलाधिकारी उपरोक्त पर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए 15 दिन में आर्थिक सहायता व अतिरिक्त सहायता स्वीकृत करते हुए आयोग को सूचित करेंगे।

अनुभाग रिपोर्ट प्राप्त के पश्चात् प्रस्तुत करें, तदनुसार अगली सुनवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. A-3/UP-3/2019-SSW II

सुनवाई तिथि 25.06.2019 का कार्यवृत्त

श्री डी.के. गर्ग, आर.एच.ई.ओ., श्री अजय कुमार, प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश को बुलाया गया था, वे नहीं आयें और बहुत ही कनिष्ठ अधिकारी को भेजा गया।

प्रार्थी ने सूचित किया कि उसकी नियुक्ति श्री चित्रगुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैनपुरी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर 21.11.2014 को नियुक्ति हुई थी। प्रार्थी को इतने महीने बीत जाने के बाद भी नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान शिक्षा विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

विभाग का उत्तर है कि 06.01.2011 में राज्य सरकार का शासनादेश निर्गत करके निर्णय लिया था कि शिक्षण संस्थाओं में श्रेणी 'घ' की भर्ती नहीं करके outsourcing के माध्यम से लोग रखे जाएँगे व इस क्रम में 24.02.2015 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किया गया। अत: प्रार्थी की 2014 की नियुक्ति पर शासन का अनुमोदन देना संभव नहीं है।

प्रकरण की गंभीरता से जाँच तथा माननीय न्यायालय में writ petition 6389 of 2011 की 06.09.2012 के आदेश तथा writ petition no. 46520 of 2015 के आदेश 19.08.2015 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शासनादेश द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता।

चूँकि शासनादेश 2011 का है लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय का संशोधन 24.02.2015 में किया गया है, अत: अधिनियम 24.02.2015 के आगे ही लागू हो सकता है।

प्रार्थी की नियुक्ति 21.11.2014 की है, अत: नियमानुसार पुराना उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम ही लागू रहेगा।

विभाग तदनुसार कार्यवाही करते हुए प्रार्थी की नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान कर एक महीने में सूचित करेंगे।

अनुभाग 1 महीने के बाद रिपोर्ट सहित प्रस्तुत करें, अग्रिम तिथि उसके उपरांत ही तय की जाएगी।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
सत्यमेव जयते
GOVT OF INDIA
NCSC

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. Delhi/157/2019- APCR

सुनवाई तिथि 25.06.2019 का कार्यवृत्त

श्री मंदीप एस. रंधावा, उपायुक्त, श्री संजीव, एसीपी, श्री सुनील कुमार, एसएचओ, श्री दीपक कुमार एवं प्रार्थी की पत्नी श्रीमती मेघना सुनवाई में उपस्थित थे।

जिलाधिकारी, सेंट्रल को बुलाया गया था, वे उपस्थित नहीं हुए और न ही उन्होंने छूट हेतु कोई पत्र या अपने स्थान पर कोई अधिकारी भेजे। जिलाधिकारी सेंट्रल को बुलाने हेतु Summons निर्गत किये जाएँ।

प्रार्थी ने सूचित किया कि उनके विरूद्ध क्रॉस केस लिखा दिया गया है तथा उनके गवाहों श्री राजेश सचदेवा तथा अन्य को धमकाया जा रहा है। प्रार्थी के साथ कुछ अन्य पड़ोसी भी आए थे जिन्होंने आरोपी द्वारा उनको धमकाएँ जाने की पुष्टि की।

प्रार्थी ने ये भी सूचित किया कि प्रकरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएँ नहीं लगाई गई है। जबकि उन्होंने अपना अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जमा कर दिया है।

उपायुक्त, सेंट्रल ने सूचित किया कि उन्होंने प्रार्थी के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के सत्यापण करने हेतु एसडीएम, करोल बाग के कार्यालय में भेजा था, किन्तु रजिस्टर नहीं मिलने के कारण उपरोक्त प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं हो पाया जिसके कारण FIR में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा नहीं लगाई गई।

प्रार्थी ने अपने पिता तथा भाई की भी जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराई जो कि वर्ष 1969 तथा 2003 में निर्गत किए गए थे।

आयोग ने प्रकरण में इस प्रकार की विलंब को गंभीरता से लिया तथा उपायुक्त, सेंट्रल से अपेक्षा की कि प्रार्थी के पिता व भाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराएँ FIR में जोड़ी जाए।

जिलाधिकारी, सेंट्रल से अपेक्षा है कि वे इसकी जाँच करेंगे कि जाति प्रमाण-पत्र की रजिस्टर एसडीएम कार्यालय से गायब कैसे हो गया व उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करके 15 दिन में आयोग को सूचित करेंगे।

उपायुक्त, सेंट्रल FIR में विवेचना 15 दिन में पूर्ण कर अग्रिम कार्रवाई करेंगे तथा विवेचना अधिकारी नियमानुसार एसीपी रैंक का बनाएँगे व ये भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रार्थी के गवाहों को धमकाया नहीं जाए व आरोपी के विरूद्ध आवश्यकता पड़ने पर निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

15 दिन के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अगली सुनवाई को।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
सत्यमेव जयते
GOVT OF INDIA
NCSC